मु.नं. ५८/१८ पेमाराम V/S मूलाराम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 31/10/2019 | वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश-9 R-13 की बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 259/2015 की सुनवाई तारीख दिनांक 14/5/2018 को वास्ते प्रतिवादीगण के जवाब दावा मे नियत थी। दिनांक 14/5/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया। और पत्रावली सीधे ही दिनांक 28/5/2018 को राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार अभियान शिविर माण्डीगढ मे पेश हुई। जिसमे वादी की अनुपस्थिति मे एक तरफा सुनवायी करते हुए वादी का वाद विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया जो एक तरफा खारिज किया गया। अतः वाद को पुनः नम्बर मे लिया जाकर प्रार्थी वादी को सुनवाई के अवसर दिया जाना आवश्यक है।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। मूल पत्रावली राजस्व वाद 259/2015 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पत्रावली दिनांक 14/5/2018 को जवाब मे नियत थी। परन्तु न्याय आपके द्वार अभियान शिविर माण्डीगढ मे दिनांक 28/5/2018 को पेश हुई। इस संबंध मे वादी व प्रतिवादीगण को जरिये नोटीस दिनांक 11/5/2018 को भेजकर सूचित किया गया था। अतः नोटीस तामील प्राप्त होने के बावजूद वादी न्याय आपके द्वार अभियान शिविर माण्डीगढ मे अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 उपस्थित रहे। प्रतिवादीगण ने निवेदन किया था कि<br><br>Cont— | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

| तारीख हुक्म | मु.नं. 45/18 पेमाराम V/S मूलाराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31/10/19 | वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 146, 147, 148, 149, 150, 151 रकबा 5.25 हैक्टर के संबंध मे पूर्व में प्रतिवादी स. 3 से 8 के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 188, 92A राजस्व वाद सं 110/2010 प्रस्तुत कर उक्त आराजियात मे हस्तक्षेप व्यवधान उत्पन्न नही किये जाने की स्थाई आज्ञप्ति के लिए निवेदन किया था जो शिविर माण्डीगढ 2015 मे निर्णित हो चुका था एवं उक्त वाद मे हुए राजीनामा से प्रतिवादी आज भी पाबन्द होने एवं भविष्य मे भी पाबन्द होने के आधार पर राजस्व वाद 259/2015 वाद अन्तर्गत धारा 188, 92A, 91 R7A4 खारीज किया गया था।<br>अत: पूर्व मे निर्णित वाद संख्या 110/2010 परस्पर समझौता होने से राजस्व वाद संख्या 259/2015 खारीज किया था जो कि मेरिट पर तय किया गया था, ना कि एकतरफा खारिज किया गया था। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-9 नियम 13 सपठित धारा 151 CPC के ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करना उचित प्रतीत होता है अत: प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>सहायक कलेक्टर<br>(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) | |

उपखण्ड अधिकारी देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2019.11.11 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: